सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

20/5/2022 पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी की बहस/प्रस्तुतियों का मनन कर पाया कि आपत्ति की अवधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः सुविधा के सन्तुलन को ध्यान में रखते हुए अनावेदकों का वाद के निर्णय तक मूल में जारी किया 09/08/2018 को जारी स्थगन आदेश (अन्तरिम आदेश) विचाराधीन रखा जाता है। प्रकरण 3/6 पुराना 288 के 522/2 नया 2022/18 श्रीमान जिला कलक्टर महोदय उ.द. कार्यालय में सं.कि. क्षेत्र कालवाड़ तहसील व जिला जयपुर के विरुद्ध 12-2022 का दायर नहीं करने की स्वीकृति दिया जाता है। पत्रावली को नियमानुसार कार्यालय में प्रेषित हेतु अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रिम न्यायालय को प्रेषित करावें।

(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.09.13 16:26:06 IST
Reason: SelfAttested